मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय–462004

1/10

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 23/12/2020

क्रमांक 849/सी.सी./2020/अडतीस :: उच्च शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक एफ 16–12/2020 यू–1 (ए) (पार्ट–2) दिनांक 02/11/2020 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–14–8/2020 (सीपीपी–II) दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सत्र 2020–21 की शैक्षणिक गतिविधियाँ भौतिक रूप से आरम्भ करने के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं –

1. समस्त कक्षाऐं निम्न समय तालिका अनुसार चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की जायेंगी–
   - केवल प्रायोगिक कक्षाएँ : 01 जनवरी, 2021
   - केवल स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएँ : 10 जनवरी, 2021
   - समस्त शेष कक्षाएँ : 20 जनवरी, 2021
2. दिनांक 20 जनवरी, 2021 से समस्त शेष कक्षाएँ प्रारंभ करने के पूर्व कोविड महामारी के नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में **जिला स्तर पर गठित क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा** प्राप्त की जाएगी, तथा अनुशंसा होने पर ही कक्षाएँ प्रारंभ की जा सकेंगी।
3. कक्षाओं का संचालन **प्रतिदिन 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ किया** जाएगा, अर्थात् विद्यार्थी एकान्तर दिवसों **(alternate days)** में कक्षा में उपस्थित होंगे।
4. विद्यार्थी संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक स्तर पर कोविड–19 के सुरक्षा मानकों के आधार पर पृथक–पृथक समूह (बैच) बनाकर प्रायोगिक एवं शैक्षणिक कार्य संपादित किया जाए। इस संबंध में आधोसंरचना की उपलब्धता एवं स्थानीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित संस्था प्रमुख निर्णय लेंगे।
5. समस्त संकायों के लिए पूर्व से संचालित **ऑनलाईन कक्षाऐं भी यथावत संचालित रहेंगी।** ऑनलाइन कक्षाओं एवं भौतिक कक्षाओं दोनों के संचालन हेतु समय–सारणी संस्था स्तर से जारी की जावेगी।
6. विद्यार्थियों की **उपस्थिति स्वैच्छिक होगी।** सत्र 2020–21 में परीक्षा, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन योजनाओं आदि के अन्तर्गत विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता को विलोपित किया जाता है।
7. महाविद्यालय में सभी सामूहिक गतिविधियाँ जैसे कि प्रार्थना, खेलकूद, स्वीमिंग आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी स्थिति में कोविड अनुशासन से विलग होकर विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो, इस बात की विशेष निगरानी रखी जाये।
8. **छात्रावास को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।**
9. **पुस्तकालयों का संचालन केवल पुस्तकों के आदान–प्रदान के लिए होगा।**
10. छात्र–छात्राओं के घोषणा पत्र एवं **माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति** के आधार पर उपस्थिति स्वीकार्य होगी। माता/पिता/अभिभावक द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।
11. कुलसचिव/प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय अपने क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में निरीक्षण का कार्य करेंगे। इस दौरान सेनेटाइजेशन, हाईजीन, अध्ययन कक्षों में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था, एस.ओ.पी. का पालन आदि के संबंध में निरीक्षण

विद्यार्थी का घोषणा पत्र.

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री .... शैक्षणिक सत्र 2020–21 के अंतर्गत स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष या स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर का/की नियमित विद्यार्थी हूँ।

मैं स्वैच्छिक आधार पर महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य/शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने/नियमित कक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ।

मुझे कोरोना (कोविड–19) से उत्पन्न स्थितियों एवं स्वास्थ्य पर होने वाले विपरीत प्रभावों की जानकारी है। मैं कोरोना (कोविड–19) के प्रसार को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी "मानक संचालन प्रकिया" का पालन सुनिश्चित करूंगा/करूंगी।

दिनांक :– ....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर ....
विद्यार्थी का नाम ....
कक्षा ....
महाविद्यालय का नाम ....
....
मो.नं. ....

अभिभावक का सहमति/घोषणा पत्र

मेरा पुत्र/पुत्री .... कक्षा .... महाविद्यालय .... में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरंत है। मुझे कोरोना (कोविड–19) के प्रसार तथा उत्पन्न स्थितियों व बचाव के विभिन्न उपायों की जानकारी है।

मैं स्वेच्छा से अपने पुत्र/पुत्री को महाविद्यालयों में प्रायोगिक कार्य/शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने/नियमित कक्षाओं में शामिल होने की सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

दिनांक :– ....

अभिभावक के हस्ताक्षर ....
अभिभावक का नाम ....
मो.नं. ....
स्थानीय निवास का पता ....
....